राज्य सरकार ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू में नये प्रवेशों पर प्रतिबंध लगाया

फर्जी डिग्रियों और शैक्षणिक फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई की शुरुआत

- **यूजीसी ने पहले ही ओपीजेएस सहित झुंझुनूं की जेजेटी यूनिवर्सिटी, अलवर की सनराइज यूनिवर्सिटी व अन्य को पीएचडी प्रवेश पर प्रतिबंधित किया था**
- **प्रतिबंधों के कारण हजारों छात्र असमंजस में हैं, कई विद्यार्थियों ने पहले से प्रवेश लिया हुआ है, और अब उनकी डिग्रियों की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं**

झुंझुनूं, (निसं)। प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में चल रहे कथित फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने तीन अक्टूबर को जारी आदेश में झुंझुनूं-चूरू बॉर्डर पर स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी अर्थात ओमप्रकाश जोगेंद्रसिंह विश्वविद्यालय चूरू में नए प्रवेशों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्रियों, शोध पंजीकरण और अध्यापन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

फर्जी डिग्रियों और शैक्षिणक अनियमितताओं का जाल :- पिछले कुछ वर्षों में राज्य के कई निजी विश्वविद्यालयों पर कागजों पर पढ़ाई, बिना पढ़ाई/बैक डेट डिग्री वितरण और फर्जी शोध प्रमाणपत्रों के आरोप लगते रहे हैं। कई मामलों में ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं, जहां बिना कक्षाओं के संचालन, बिना शोध पर्यवेक्षण और बिना विवेचना समिति की अनुमति के पीएचडी डिग्रियां जारी की गई। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों में बिना मान्यता वाले कोर्सों में प्रवेश और फर्जी डिग्रियां जारी करना, बाहरी परीक्षाओं के माध्यम से शोध डिग्री जारी करना और छात्रों से फर्जीवाड़े के माध्यम से वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

यूजीसी पहले ही दिखा चुका है सख्ती :- इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2025 में ओपीजेएस सहित राजस्थान की चार निजी विश्वविद्यालयों श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला यूनिवर्सिटी चुड़ैला झुंझुनूं, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर, सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनूं पर पांच वर्षों (2025-2030) तक पीएचडी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूजीसी की जांच समिति ने इन विश्वविद्यालयों के शोध कार्यक्रमों में गंभीर शैक्षिणक उल्लंघन, नकली पर्यवेक्षण, और नियम विहीन प्रवेश प्रक्रिया को चिह्नित किया था।

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति केवल संस्थागत विफलता नहीं बल्कि उच्च शिक्षा की आत्मा पर गहरा प्रहार है। राजस्थान में बीते वर्षों में कई ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम सामने आए, जिनका ध्यान डिग्री बेचने की दिशा में अधिक रहा, न कि शोध और ज्ञान निर्माण की ओर। शिक्षाविद् और समाजसेवी डॉ. सागर कछावा का कहना है कि फर्जी डिग्रियां और अनियमित शोध न केवल शिक्षा की गरिमा को नष्ट करते हैं बल्कि समाज की नैतिक नींव को भी कमजोर करते हैं। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार शिक्षा को व्यवसायिक दृष्टिकोण से बाहर निकालकर उसे सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में पुनर्स्थापित करे।

छात्रों के भविष्य पर प्रभाव :- इन प्रतिबंधों के कारण हजारों छात्र असमंजस में हैं। कई विद्यार्थियों ने पहले से प्रवेश लिया हुआ है, और अब उनकी डिग्रियों की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं। यूजीसी और उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने ऐसे छात्रों को सलाह दी है कि वे प्रवेश से पहले विश्वविद्यालयों की मान्यता और मानक की स्थिति की आधिकारिक जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में रोजगार या उच्च शिक्षा में कठिनाई न हो।

राजस्थान सरकार का यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता बहाल करने की दिशा में एक निर्णायक शुरुआत माना जा रहा है। सरकार अब ऐसे सभी विश्वविद्यालयों की आंतरिक समीक्षा, वित्तीय लेखा-परीक्षा और शोध मानक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार हमारा उद्देश्य किसी संस्था को बंद करना नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा के असली मापदंडों की ओर वापस लाना है। ताकि शिक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल हो सके।

आगे का रास्ता :- अब नजर इस बात पर है कि प्रतिबंधित विश्वविद्यालय अपनी साख बहाल करने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन संस्थानों में यूजीसी मानकों के अनुरूप शोध प्रणाली, प्रवेश में पारदर्शिता, स्थाई तथा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और नियमित अकादमिक ऑडिट लागू किए जाते हैं, तो यह शिक्षा जगत के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। राजस्थान सरकार की यह सख्ती केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के भविष्य को दिशा देने वाला निर्णायक कदम है। फर्जी डिग्रियों, नकली शोध और शिक्षा के व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि शिक्षा अब कमाई का साधन नहीं बल्कि ज्ञान और नैतिकता का माध्यम होगी।

लेपर्ड की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत

करौली, (निसं.) करौली-कैला देवी मार्ग पर स्थित मामचारी गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में एक लेपर्ड और उसके शावकों की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण रात में अकेले बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी है, जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मामचारी क्षेत्र में लेपर्ड और उसके शावकों को देखा जा रहा है। उनकी उपस्थिति से क्षेत्र के निवासी गहरे भय में हैं। खासकर शाम ढलने के बाद और रात के समय ग्रामीण घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह लेपर्ड और उसके बच्चे लगातार खेतों और आबादी वाले इलाकों के करीब नजर आ रहे हैं, जिससे उनके जान-माल का खतरा बढ़ गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए सतर्क रहें और अकेले घर से बाहर न निकलें। इसके साथ ही लेपर्ड के मूवमेंट को ट्रैक करने और उसकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए वन कर्मियों ने मामचारी गांव के आसपास के कई संभावित स्थानों पर ट्रैप कैमरे भी लगाए हैं। इन कैमरों की मदद से लेपर्ड के व्यवहार और क्षेत्र की जानकारी जुटाकर उसे आबादी से दूर भेजने या नियंत्रित करने की आगामी रणनीति बनाई जाएगी।

बागोड़ा पुलिस थाना के एएसआई पचास हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

- **एएसआई द्वारा 35 हजार रूपये पूर्व में प्राप्त कर 65 हजार रूपये और मांग कर परेशान किया जा रहा था**
- **एएसआई ने परिवादी के रिश्तेदार के विरूद्ध प्रकरण में आरोपी द्वारा दो व्यक्तियों का चालान नहीं करने एवं प्रकरण में मदद करने की एवज में रिश्वत मांगी**

आरोपी एएसआई।

जालोर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जालोर इकाई ने बुधवार को कार्रवाई करते हुये बागोड़ा पुलिस थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक कल्याण सिंह को पचास हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए. सी.बी. जालोर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से आरोपी कल्याण सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर द्वारा परिवादी के रिश्तेदार के विरूद्ध प्रकरण में आरोपी द्वारा दो व्यक्तियों का चालान नहीं करने एवं प्रकरण में मदद करने की एवज में 35 हजार रूपये पूर्व में प्राप्त कर 65 हजार रूपये रिश्वत राशि की और मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ ने बुधवार को मय टीम के ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई पुलिस थाना बागोड़ा कल्याण सिंह द्वारा दौराने ट्रेप कार्रवाई परिवादी से पचास हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करते हुये रूबरू स्वतंत्र गवाह के रंगे हाथों गिरफतार कर रिश्वत राशि पचास हजार रूपये बरामद किये गये। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी टीम ने आरोपी एएसआई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही थाने में संबंधित प्रकरणों की फाइलें, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं। टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इसी तरह अन्य मामलों में भी अवैध वसूली की है।

हाइवे पर ट्रक में कार घुसी, तीन श्रद्धालुओं की मौत

- **पांचों युवक टैक्सी से श्रीगंगानगर में चानणा धाम बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे**

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां चानणा धाम बालाजी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार तीन श्रद्धालुओं ने मौके पर दम तोड़ दिया। दो गंभीर रूप से घायल हैं। शव गाड़ी में बुरी तरह फंस गए थे। टैक्सी काटकर तीनों बॉडी को बाहर निकाला गया।

हादसा श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाइवे-94 पर गांव 5 जीबी पुलिया के पास हुआ। घायलों को एम्बुलेंस से श्रीगंगानगर के जिला हॉस्पिटल भेजा गया। बताया जा रहा है कि ट्रक अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की तरफ जा रहा था। कार में पांच युवक सवार थे। पांचों युवक टैक्सी से श्रीगंगानगर में चानणा धाम बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे। सूचना के बाद जैतसर पुलिस ने मौके से दोनों गाड़ियों को सड़क से साइड में करवाकर हाइवे पर यातायात शुरू करवाया। मृतकों की पहचान सुरेंद्र (20) पुत्र पप्पूराम, नरेश कुमार (20) पुत्र बुधराम, कालूराम (18) के रूप में हुई है। तीनों अनूपगढ़ के रहने वाले थे। सुखदेव (19) पुत्र श्रवण राम और जगदीश कुमार (28) पुत्र मुन्नीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जगदीश गाड़ी चला रहा था। सुखदेव प्लम्बर का काम करता है। कालूराम और नरेश चचेरे भाई थे सभी अविवाहित थे।

कार-बाइक की टक्कर में एक की मौत

बरौनी थानान्तर्गत बरौनी-शिवाड़ सड़क मार्ग पर हुआ हादसा

निवाई, (निसं)। बरौनी थानान्तर्गत बरौनी-शिवाड़ सड़क मार्ग पर एक कार ने आगे चल रही मोटरसाइकिल के पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मृतक के पास एक मोबाइल मिला है। थानाधिकारी बृजेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे मोबाइल से सूचना मिली कि बरौनी शिवाड़ रोड पर गांव नाहरवाडी मोड़ के पास एक कार ने मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी जिससे बाइक चालक घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बाइक चालक को एंबुलेंस की सहायता से उप जिला अस्पताल निवाई में उपचार के लिए भर्ती करवाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के पास से मिले मोबाइल की सिम मनराज मीणा पुत्र मोरपाल मीणा निवासी जैतपुरा थाना मित्रपुरा के नाम है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया।

हथियारबंद बदमाशों ने बस पर हमला कर यात्रियों से डकैती का प्रयास किया

बस में सवार यात्रियों ने शोर मचाया, जिसके बाद बदमाश भाग निकले

- **बस रुकते ही बदमाश लाठियां और तलवारें लेकर कार से बाहर निकले और यात्रियों को डराया**
- **बदमाशों की कार और कुछ संदिग्धों का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है**

डूंगरपुर, (निसं)। जिले में बदमाशों के हौसले एक बार फिर हौसले बुलंद नजर आए। दोवड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एक ट्रेवल्स बस को रोककर यात्रियों से डकैती का प्रयास किया। घटना के दौरान बस में सवार यात्रियों ने शोर मचाया, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले। पूरी वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है।

घटनाक्रम के अनुसार बस चालक देवकुमार मीणा रोजाना डूंगरपुर से इंदौर के बीच ट्रेवल्स बस चलाते हैं। मंगलवार शाम बस डूंगरपुर से इंदौर के लिए रवाना हुई थी। रात के समय जब बस डूंगरपुर-आसपुर मार्ग पर पुनाली घाटा पहुंची, तब एक इको कार में सवार 7-8 हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में बस को ओवरटेक कर आगे रोक लिया। बस रुकते ही बदमाश लाठियां और तलवारें लेकर कार से बाहर निकले और यात्रियों को डराने लगे।

इस दौरान चालक ने तत्काल केबिन की लाइट जला दी। यात्रियों के चिल्लाने और हंगामा करने पर बदमाश घबरा गए और अपनी गाड़ी में बैठकर भाग निकले। ड्राइवर देवकुमार मीणा ने बताया कि बदमाश लूटपाट और तोड़फोड़ की नीयत से आए थे, लेकिन बस में स्थानीय यात्री सवार होने और उनके विरोध करने से वारदात टल गई। घटना की जानकारी तुरंत बस मालिक और दोवडा थाना पुलिस को दी गई। बस चालक ने बताया कि उसने बदमाशों की कार और कुछ संदिग्धों का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल दोवड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में सर्च अभियान चला रही है।

फर्जी आरटीओ बनकर अवैध वसूली करते एक को पकड़ा, पांच जने फरार

- **आरोपी रिफ्लेक्टर टेप लगाने के नाम पर वाहनों चालकों से प्रति वाहन 300 रूपये की अवैध वसूली कर रहे थे**

परिवहन विभाग के उप परिवहन निरीक्षक रोबिन सिंह ने फर्जी परिवहन विभाग अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के मामले में एक को पकड़कर पूछताछ की।

सादुलपुर, (निसं)। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गांव लसेड़ी के पास फर्जी परिवहन विभाग अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के मामले में परिवहन विभाग के उप परिवहन निरीक्षक रोबिन सिंह ने फर्जी मामले का पर्दाफाश करते हुए बुधवार को कपिल सवालिया नामक एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जबकि पांच अन्य आरोपी फरार होने में सफल हो गए।

जानकारी के अनुसार आरोपी रिफ्लेक्टर टेप लगाने के नाम पर वाहनों चालकों से प्रति वाहन 300 रूपये की अवैध वसूली कर रहे थे तथा नकली रसीदें काटकर गत एक सप्ताह में 1000 से ज्यादा वाहनों चालकों से ठगी की है। परिवहन उप निरीक्षक रोबिन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर परिवहन विभाग के नाम से अवैध वसूली और फर्जी रसीद काटने का मामला गत 7-8 दिनों से चल रहा था। उन्होंने बताया जांच के दौरान फर्जी रसीद भी बरामद की गई है। परिवहन उपनिरीक्षक रोबिन सिहं ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारी बनकर चालकों से रिफ्लेक्टर टेप लगाने के नाम पर 300 की वसूली की जा रही थी। सूचना मिलने पर बाईपास पर जांच के लिए एक वाहन चालक को रोककर पूछताछ की तो चालक ने बताया कि कुछ देर पहले ही कुछ लोगों ने खुद को परिवहन विभाग का कर्मचारी बताते हुए 300 की रसीद काटी और उसे एक रिफ्लेक्टर टेप दिया। जब टीम ने वह रसीद और रिफ्लेक्टर टेप देखा, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरी तरह से फर्जी है और कोई निजी गिरोह चालकों से जबरन वसूली कर रहा है।

उन्होंने बताया कि लसेडी टोल के पास छानबीन की, जहां छह लोगों का एक समूह सक्रिय पाया गया। वाहन चालकों को रोककर उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल रहे थे और बदले में घटिया गुणवत्ता की रिफ्लेक्टर टेप देकर रवाना कर रहे थे। पूछताछ के दौरान आरोपी कपिल सवालिया नामक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंपा है तथा आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पिछले 7-8 दिनों से इस काम में शामिल है तथा घटिया रिफ्लेक्टर टेप को काम में लिया जा रहा था। चालकों को लगे कि यह सरकारी जांच है। उन्होंने बताया की परिवहन विभाग ने पूरे मामले को गंभीर आर्थिक अपराध व सरकारी नाम के दुरुपयोग के तहत लेते हुए संबंधित गिरोह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं।

सुजान गंगा नहर में एक व्यक्ति का शव मिला

भरतपुर, (निसं)। सुजान गंगा नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ टीम के सहयोग से सबको बाहर निकलवाया और आरबीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त करने पर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

राम सिंह ने बताया कि मेरा भाई गंगाराम (52) निवासी पथेना गांव थाना भुसावर 4 दिन पहले घर निकला था। वह भरतपुर में एक बैंड वाले के यहां काम करता था। वह घर से कहकर निकला था कि वह बैंड वाले से पैसे लेने जा रहा है। तब से वह घर नहीं लौटा। गंगाराम के जबडे में कैंसर था। उसका 15 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था। गंगाराम को डॉक्टर ने फिर से ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था, लेकिन वह डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं गया। गंगाराम की शादी भी नहीं हुई थी। गंगाराम जब घर नहीं लौटा तो, परिजनों ने स्थानीय थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दी थी। बुधवार को उसका शव सुजान गंगा नहर में मिला तो गंगाराम के परिजनों से संपर्क किया और शव की शिनाख्त की गई।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय में फर्नीचर आपूर्ति मय स्थापना हेतु निविदा जारी की गयी हैं, जिसका यूबीएन GSU2526GLOB00043 हैं। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/25/11685 वित्त नियंत्रक

RAJASTHAN SAMWAD

Department of Information and Public Relations, Government Secretariat, Jaipur-302005
(Telephone & Fax No. 0141- 2227325, E-mail id :- rajasthansamwad2002@gmail.com)

NOTICE INVITING BIDS
NIB No. 80 Date : 08/10/2025

Bids for Supply of **Desktop Computer, All in One Computer, Multi Functional Printer, Printer, Scanner & Tablet etc for Head Office & Subordinate District Offices** are from interested bidders up to 06:00 PM Dated 29/10/2025. The approximate value of the Procurement is Rs. 1.50 Crore. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (**http://sppp.raj.nic.in**) of the state; and **https://dipr.rajasthan.gov.in/**.

UBN : IPR2526GLRC00021
Raj.Samwad/C/25/11734
Managing Director
Rajasthan Samwad, Jaipur

राजस्थान आवासन मण्डल

क्रमांक :- 1033 **निविदा सूचना संख्या 01/2025-26** दिनांक :- 07/10/2025

राजस्थान आवासन मण्डल की ए.आई.एस. रेजीडेंसी (फेज-द्वितीय), सेक्टर-17, प्रताप नगर, जयपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत सी.सी.टी.वी. उपलब्ध करवाने एवं लगवाने के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 08.10.2025 से 24.10. 2025 को सायं 6.00 बजे तक राजस्थान सरकार के पोर्टल (http://epoc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) व मण्डल की वेबसाईट http://rhb.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

यू.बी.एन. न.:- RHB2526WSOB00228
राज.संवाद/सी/25/11731 आवासीय अभियंता, खण्ड-पंचम्, जयपुर

कार्यालय नगर परिषद बून्दी

क्रमांकः- 18165186 दिनांकः- 07.10.2025

-:: निविदा सूचना ::-

नगर परिषद बून्दी द्वारा जारी निविदा सं0: न0प0बू0/निर्माण/2025-26/7020 दिनांक 26/09/2025 की निविदा दिनांक 07/10/2025 से दिनांक 16/10/2025 18.00 बजे तक ऑनलाईन विक्रय की जावेगी। निविदा दिनांक 17/10/2025 को 15.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा निविदा दिनांक 17/10/2025 को 16.00 बजे ऑनलाईन खोली जावेगी। विस्तृत शर्ते व विवरण निविदा sppp.rajasthan.gov.in/eproc.rajasthan.gov.in पर DLB2526WSOB20723 तथा कार्यालय समय मे किसी भी कार्यदिवस को नगर परिषद मे देखा जा सकता है।

आयुक्त
राज.संवाद/सी/25/11627 नगर परिषद, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, प्रिंस बिजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर

क्रमांक-ए.जी.एच./लेखा (क्रय)/2025/31292 दिनांक-27.09.2025

अल्पकालीन ई-बोली आमंत्रण सूचना (Stt. E-NIB NO. 17/2025-26)

प्रिंस बिजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.) सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर के रक्तकोष विभाग मे काम आने वाले टेस्ट किट्स रिजेन्ट्स, एन्टीसेरा व कन्ज्यूमेबल के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा (दोहरी बिड पद्धति) मे इच्छुक बोलीदाता दिनांक 04.10.2025 से 13.10.2025 सायं 05.00 बजे तक निविदा डाउनलोड/अपलोड कर सकते है। बोली आमंत्रण सूचना की महत्वपूर्ण शर्ते व पूर्ण विवरण "http://eproc.rajasthan.gov.in" तथा "http://sppp.rajasthan.gov.in" पर देखी जा सकती है। ई-बोली की अनुमानित लागत 300 लाख है।

UBN NO. MCB2526GLRC00167
चिकित्सा अधीक्षक
प्रिंस बिजय सिंह मोमोरियल (पी.बी.एम.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
DIPR/C/14617/2025

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक :- लेखा/भ.वि.प्रा./2025-26/राजकाज 18129514 दिनांक :- 04/10/2025

अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा सूचना सं. 19/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में एए श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 01 कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेवसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/uitbharatpur एवं http://sppp.raj.nic.in portal पर देखा जा सकता है।

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal का अवलोकन करें।

UBN विवरण :- WAQ2526WLOB00239
अधिशाषी अभियन्ता - प्रथम
राज.संवाद/सी/25/11662 भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा
Email : nnksouth@gmail.com, Website : www.urban.rajasthan.gov.in/nnks, Ph.: 0744-2502142

क्रमांक :- ननिको(द.)/उद्यान/2025/9548 - 57 दिनांक :- 08/10/2025

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री क्रय किये जाने हेतु खेल सामग्री के मूल/विक्रेता/निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ता से ई-निविदा पद्धति द्वारा ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का प्रकार कार्य की अनुमानित राशि 1,38,00,000/- (अक्षरे एक करोड़ अडतीस लाख रूपये) है। निविदा आमंत्रित की दिनांक 09.10.2025 से 15.10.2025 तक प्राप्त करने एवं अन्य शर्ते नगर निगम कोटा की वेबसाईट www.kotamc.org, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. - DLB2526WSRC21010
उपायुक्त प्रथम
राज.संवाद/सी/25/11713 नगर निगम कोटा दक्षिण

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/निर्माण/2025-26/16829 दिनांक 03.10.2025

ई- निविदा-सूचना सं0 125/2025-26

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की कुल लागत 36.17 लाख
UBN Number DLB2526WSOB20524
आयुक्त
राज.संवाद/सी/25/11693 नगर निगम, बीकानेर

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, मोहनगढ़

नई अनाज मण्डी, सुथार वाला रोड़, ग्राम मोहनगढ़ जिला जैसलमेर
E-Mail id : kums.mohangarh@rajasthan.gov.in Website - http://www.rsamb.rajasthan.gov.in/

Notice Inviting Bid (NIB 02/2025-26)

E-Bids are invited from manufacturers/ directimporters/ Authorized Dealer upto 06.00P.M. of 16.10.2025 for procurement of IT EQUIPMENTS on Tender on behalf of office of the Secretary, Krishi Upaj Mandi Samiti, Mohangarh Details may be seen in the Bidding Document at the office of the Krishi Upaj Mandi Samiti, Mohangarh or State Public Procurement Portal website sppp.raj.nic.in or https://eproc.rajasthan.gov.in or website https://agriculture.rajasthan.gov.in/dam. The bidding document may be downloaded from either of the above websites and uploaded duly filled in with payment of Rs. 1180/-(1000+18% GST) through banker's cheque/demand draft in favour of Secretary, Krishi Upaj Mandi Samiti, Mohangarh, payable at Mohangarh Details of bid are following: -

Sr. No.	Bid Title	NIB No.	UBN No.	Est. Cost
1	IT EQUIPMENTS	DAM2526A0486	DAM2526GLOB00877	11.00 Lac

Secretary,
Raj.Samwad/C/25/11696 Krishi Upaj Mandi Samiti Mohangarh

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

झलकारी बाई स्मारक के पास पंचशील-लोहागल मार्ग, अजमेर (राजस्थान)
फोन नं. 0145-2429971, 2429920

क्रमांक :-MEW/2025-26/1290 दिनांकः- 06.10.2025

:: ई-निविदा सूचना संख्या 37/2025-26 ::

नगर निगम अजमेर की ओर से नगर निगम अजमेर एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमो के अनुसार मान्य) जो निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल निर्माण कार्यो हेतु ऑनलाईन ईनिविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यो की कुल लागत	राशि 56.89 लाख (02 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	Date 07.10.25 से 16.10.25 को 6.00 PM तक
Technical निविदा खोलने की तिथि व समय	Date 17.10.25 को 10.30AM पर
Financial निविदा खोलने की तिथि	सफलतम निविदादाता को उचित माध्यम के द्वारा सूचित कर दिया जावेगा।

विस्तृत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर एवं नगर निगम के निर्माण विभाग के कार्यालय में भी देखी जा सकती है।

Nib Code :-ANN2526A0124
UBN NO. ANN2526WSOB00164, ANN2526WSOB00165
अधिशाषी अभियन्ता
राज.संवाद/सी/25/11697 नगर निगम अजमेर